राजेश मीणा भा०प्र०से०, समाहर्त्ता–सह–जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 16.09.19 को महत्वपूर्ण विषयों एवं अन्तर्विभागीय कार्यो के प्रगति के निमित्त सम्पन्न जिला स्तरीय समन्वय समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

- **उपस्थिति :–** यथा पंजी।

सर्वप्रथम बैठक की प्रारंभिक अवधि में प्रखंड-अंचल के नामित वरीय उपसमाहर्त्ता (डमदजवत) को निदेश दिया गया कि अपने आवंटित प्रखंड-अंचल में सभी कार्यान्वित योजनाओं के संदर्भ में संबंधित पदाधिकारियों की उपस्थिति में साप्ताहिक रूप से बैठक अवश्य करें तथा लक्ष्य से कम उपलब्धि अर्जित योजनाओं/कार्यक्रमों पर विशेष समीक्षा करते हुये उसके उत्तरोत्तर एवं गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित करायें।

तत्पश्चात् विभागवार कार्यो के प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को निम्नांकित निदेश दिये गये :–

विधि :–

- बैठक में उपस्थापित CWJC/MJC/LPA के विभागवार लंबित वादों से संबंधित प्रतिवेदन के अवलोकन के दौरान परिलक्षित हुआ कि कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मुंगेर, कार्यपालक अभियंता सिंचाई प्रमंडल, तारापुर की अनुपस्थिति के कारण विषयांकित के अद्यतन प्रगति की समीक्षा नहीं की जा सकी। इसी क्रम में आवश्यकता महसूस की गयी कि आगामी बैठक में सरकारी अधिवक्ता एवं लोक अभियोजक को भी बैठक में भाग लेने हेतु संसूचित किया जाय। इस हेतु प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, मुंगेर को निदेशित किया गया कि आगामी बैठक हेतु समेकित प्रतिवेदन को Administration Munger नाम से बनाये गये WhatsApp group पर post कर दें ताकि संबंधित पदाधिकारी लंबित मामलों के अद्यतन प्रतिवेदन के साथ बैठक में भाग ले सकें।

(अनुपालन– प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, मुंगेर)

- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पुलिस अधीक्षक, मुंगेर एवं रेल पुलिस अधीक्षक, जमालपुर के स्तर से भी माननीय उच्च न्यायालय के मामले लंबित हैं। जिसके आलोक में प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, मुंगेर को निदेश दिया गया कि पुलिस अधीक्षक, मुंगेर एवं रेल पुलिस अधीक्षक, जमालपुर को लंबित मामलों की सूची संलग्न कर अद्यतन प्रगति से अवगत कराने हेतु अनुरोध पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन– प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, मुंगेर)

- सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि यथासमय लंबित वादों का SOF तैयार कर उचित माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन– सभी संबंधित पदाधिकारी)

लोकायुक्त/मानवाधिकार :–

- समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकनोपरान्त लोकायुक्त तथा मानवाधिकार के लंबित मामलों के संदर्भ में संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि आगामी बैठक के पूर्व याचित प्रतिवेदन प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, मुंगेर को निश्चितरूपेण उपलब्ध करा दिया जाय। तदोपरान्त प्रभारी पदाधिकारी समेकित प्रतिवेदन में सभी आंकड़ों की प्रविष्टि करते हुये यथासमय अधोहस्ताक्षरी के स्तर से विभाग को प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन– प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा/सभी सम्बद्ध पदाधिकारी)

अन्तर्विभागीय मामले :–

- बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, मुंगेर द्वारा अवगत कराया गया कि वार्डो में पेयजल अधिष्ठापन हेतु प्रखंडवार अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता के लिए अंचल अधिकारियों को पूर्व सम्पन्न कई बैठकों में निदेशित किये जाने के बावूजद कई अंचलों से अंशतः भूमि का प्रस्ताव भेजा गया है परन्तु अंचल अधिकारी, सदर द्वारा एक भी वार्ड का प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है जिसके कारण कायदिश निर्गत करने के पश्चात् भी पेयजल कार्य प्रारंभ नहीं कराया जा सका है। इस संदर्भ में बैठक में उपस्थित सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि कार्य की महत्ता के दृष्टिगत् अविलम्ब भूमि चयनित कर अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, मुंगेर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी)

- अपर समाहर्त्ता, मुंगेर को निदेश दिया गया कि Driving Training Centre के लिए 03 एकड़ भूमि के लिए उपयुक्त स्थल का चयन कर प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन– अपर समाहर्त्ता, मुंगेर)

- पूर्व सम्पन्न बैठक के आलोक में जिले के 08 प्रखंडों में विभिन्न क्षमता वाले (कुल 19500 MT) 11 एस0एफ0सी0 गोदाम के निर्माण हेतु सभी अंचलाधिकारियों को भूमि चिन्हित कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया जा चुका है। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर अपने अनुश्रवण में सभी अंचल अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्रस्ताव प्राप्त करेंगे।

(अनुपालन– जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर)

- जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा अवगत कराया गया कि जिले के सभी 09 प्रखंडों में ई–किसान भवन का निर्माण किया जाना है जिसके लिए 07 प्रखंडों में भूमि का चयन किया जा चुका है, परन्तु असरगंज एवं बरियारपुर अंचल में अबतक ई–किसान भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है। विदित हो कि उक्त दोनों निर्माण परियोजना के लिए निधि प्राप्त है। उक्त के आलोक में अंचल अधिकारी, बरियारपुर एवं असरगंज को निदेश दिया गया कि अविलम्ब निर्धारित मापदंड के अनुरूप भूमि चयनित कर प्रस्ताव जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन– अंचल अधिकारी, बरियारपुर/असरगंज)

- कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, मुंगेर को जिले के सभी 09 प्रखंडों में हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर के निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार करने का निदेश पूर्व सम्पन्न बैठकों में दिये जाने के बावजूद अबतक प्राक्कलन उपलब्ध नहीं कराया गया है जो खेदजनक है। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि स्वास्थ्यपरक सुविधा उपलब्ध कराने की महत्ता के ध्यानरत् प्राथमिकता देते हुये आगामी सप्ताह तक प्राक्कलन तैयार कर सिविल सर्जन, मुंगेर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन– कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, मुंगेर)

- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर को निदेश दिया गया कि जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र में जीर्ण–शीर्ण हुये फॉल्स सीलिंग की मरम्मति की नियमानुसार कार्रवाई यथाशीघ्र प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें। साथ ही, "May I Help You" काउण्टर के समीप ही केन्द्र में आने वाले विद्यार्थियों के लिए पेयजल की व्यवस्था करायेंगे।

(अनुपालन– कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर)

- कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, मुंगेर द्वारा अवगत कराया गया कि श्रावणी मेला के दौरान संग्रामपुर एवं तारापुर अवस्थित Bus Stand में आवश्यकता के दृष्टिकोण से शौचालय निर्माण कराया गया है, जिसके हस्तगत की कार्रवाई अबतक अपेक्षित है। इस संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर को निदेश दिया गया कि निर्मित शौचालय के हस्तगत की कार्रवाई एक सप्ताह के अन्दर सुनिश्चित करायें।

(अनुपालन– अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर)

- प्रखंड कार्यालय, बरियारपुर एवं जमालपुर के संबंध में परिलक्षित हुआ कि बरियारपुर प्रखंड कार्यालय के भूमि का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया, जिसपर स्वीकृति भी प्राप्त हो गयी है, परन्तु निधि अबतक उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी प्रकार जमालपुर प्रखंड कार्यालय के लिए भूमि का प्रस्ताव विभाग स्तर पर स्वीकृति हेतु अबतक लंबित है। अपर समाहर्त्ता, मुंगेर को निदेश दिया गया कि विभाग को पुनः पत्राचार किया जाय।

(अनुपालन– अपर समाहर्त्ता, मुंगेर)

- सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर द्वारा बताया गया कि धरहरा प्रखंड के पीछे महरना पंचायत में बुनियाद केन्द्र निर्मित है, परन्तु उक्त केन्द्र में जाने हेतु सम्पर्क पथ की आवश्यकता है। इस निमित्त कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, मुंगेर को निदेश दिया गया कि उक्त केन्द्र का भ्रमण कर आवश्यकताधारित सम्पर्क पथ का प्रस्ताव विभाग को भेजा जाय।

(अनुपालन– कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, मुंगेर)

- जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा बताया गया कि सभी पंचायतों में Bus Stop (यात्री पड़ाव) एवं सभी प्रखंडों में 01 एकड़ क्षेत्र का Bus Stand का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए सभी अंचल अधिकारियों से भूमि का प्रस्ताव मांगा गया है, परन्तु अबतक किसी भी

अंचल से प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। इस संदर्भ में सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि उक्त से संबंधित भूमि का प्रस्ताव एक पक्ष के अन्दर भेजना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन- सभी अंचल अधिकारी)

- जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा बताया गया कि हेमजापुर में पशु चिकित्सालय का निर्माण कराया जाना है, परन्तु चयनित भूमि अतिक्रमित होने के कारण निर्माण कार्य बाधित है। इस संदर्भ में अंचल अधिकारी, धरहरा को निदेश दिया गया कि अविलम्ब अतिक्रमण हटाने की नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन- अंचल अधिकारी, धरहरा)

- कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, मुंगेर द्वारा अवगत कराया गया कि टेटियाबम्बर प्रखंडाधीन धौरी पंचायत के वार्ड नं0-10 एवं 12 (गैर गुणवत्ता प्रभावित वार्ड), जिसमें वार्ड कार्यान्वयन प्रबंधन समिति द्वारा पेयजल कार्य हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल को हस्तगत कराया गया है, परन्तु कार्यकारी एजेन्सी द्वारा स्थल पर जाने के उपरान्त पाया गया कि दोनों वार्डो में मुखिया/वार्ड द्वारा पूर्व में ही कार्य कराया गया है। इस संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी, टेटियाबम्बर द्वारा बताया गया कि दोनों वार्डो में योजना हेतु राशि वार्ड कार्यान्वयन प्रबंधन समिति को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, मुंगेर को निदेश दिया गया कि एक सुस्पष्ट प्रतिवेदन आगामी सप्ताह तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय, ताकि इसकी जॉच कर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध विधिसम्मत् कार्रवाई की जा सके।

(अनुपालन- कार्यपालक अभियंता, PHED, मुंगेर)

- बैठक के दौरान यह ज्ञात हुआ कि विभिन्न योजनाओं से संबंधित राशि बैंकों में चालू खाता (Current Account) में रखा जाता है एवं बैंक द्वारा उक्त खातों पर cash handling charge, चेक संधारण इत्यादि पर service charge काटा जाता है जिसके भुगतान की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की हो जाती है जो नियमानुकूल नहीं है। इस हेतु अग्रणी बैंक प्रबंधके, मुंगेर को निदेश दिया गया कि सरकारी खातों पर इस प्रकार का service charge काटा जाना नियमानुसार नहीं है, अपितु अविलम्ब इस समस्या का निराकरण कराते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय।
- इसके अतिरिक्त उपस्थित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, ICDS, मुंगेर द्वारा बताया गया कि कई परियोजनाओं में टेक होम राशन की राशि ससमय बैंक द्वारा निकासी की सुविधा नहीं दिये जाने से योजना प्रभावित होती है, अर्थात् निर्धारित तिथि को THR कार्यक्रम संचालित नहीं हो पाता है। इस संदर्भ में अग्रणी बैंक प्रबंधक, मुंगेर को निदेशित किया गया कि अपने स्तर से सभी बैंक समन्वयकों को सरकारी खातों से ससमय राशि निकासी की सुविधा प्रदान करने हेतु संसूचित करेंगे।

(अनुपालन- अग्रणी बैंक प्रबंधक, मुंगेर)

- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के भूखंडविहीन अहर्तित लाभुकों के लिए भूमि का प्रस्ताव संबंधित अंचल अधिकारियों से प्राप्त करने हेतु पत्राचार किया जाय। साथ ही, ग्राम पंचायतों से पलायन कर रहे जॉबकार्डधारी की जॉच ग्रामीण आवास सहायक/पर्यवेक्षक से कराते हुये प्रतिवेदन उपलबध कराया जाय।

(अनुपालन- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी)

- सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत् उपलब्ध करायी गयी अतिक्रमित Water Bodies की सूची के आलोक में अविलम्ब नियमानुसार अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

(अनुपालन- सभी अंचल अधिकारी)

- अंचल अधिकारी, सदर द्वारा बताया गया कि लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के दौरान गंगा नदी के पार अवस्थित मतदान केन्द्रों पर मतदान कराने हेतु बड़ी निजी नाव से कार्य लिया गया था, परन्तु नाव का दर निर्धारित नहीं होने के कारण नाव मालिकों को राशि देने में असमर्थता हो रही है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर से समन्वय स्थापित कर नाव का दर प्राप्त करें एवं गणनोपरान्त राशि की अधियाचना करें।

(अनुपालन- अंचल अधिकारी, सदर)

➢ उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा बताया गया कि वर्तमान में Elector Verification Plan कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जिसमें 30 सितम्बर, 2019 तक सभी मतदाताओं का अन्य दस्तावेज से सम्बद्ध कर सत्यापन कराना है। उक्त कार्य में स्वयं मतदाताओं द्वारा अभिरूचि नहीं ली जा रही है जिसके कारण सत्यापन कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। अतएव सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने बी.एल.ओ. के माध्यम से उक्त सत्यापन कार्य निर्धारित अवधि तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी)

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

19/09/19

(राजेश मीणा)
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक-20-07/19-1579/गो0, मुंगेर, दिनांक 19.09.19

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुंगेर/अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक, मुंगेर/सभी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता/सभी शाखा/कार्यालयों के वरीय/विभागीय पदाधिकारी/सभी तकनीकी पदाधिकारी एवं अन्य सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर/आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर को सूचनार्थ एवं उक्त कार्यवाही को जिला वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/09/19

(राजेश मीणा)
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

19/9